# प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 18.01.2025

## थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

बेजुबानों से क्रूरता की हद, ट्रक में लादकर तस्करी को भेजे जा रहे 20 गोवंश बरामद
थाना लालगंज पुलिस की टीम द्वारा ग्राम अगई के पास चंदना बाग के पास से गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया
अभियुक्तों के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद ट्रक नं0 यूपी 70 जीटी 5355 बरामद
थाना लालगंज पुलिस ने गिरोह के कुल 03 शातिर पशु तस्करो को किया गिरफ्तार।
वध हेतु गैर प्रान्त ले जाये जा रहे 20 राशि गोवंश बरामद ,03 तस्कर गिरफ्तार

प्रतापगढ़
1. इंसान कितना बेरहम है इसकी बानगी प्रतापगढ़ में देखने को मिली। जहां तस्करी कर लालगंज प्रतापगढ़ से अन्य जनपदों में ले जाए जा रहे 20 राशि गौवंश पुलिस ने बरामद किये हैं। इन्हे ट्रक में बुरी तरह से बांधकर लादा जा रहा था। इस तस्करी की जानकारी दिनांक 18.01.2025 को पुलिस को मुखबीर से हुई, जानकारी मिलते ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार ने श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण मे टीम गठित कर चेकिंग अभियान को शुरू कर दिया।

2. दिनांक 18.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक लालगंज श्री नीरज यादव को सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर थाना लालगंज की सीमा से बिहार राज्य होते हुए गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक एक अदद ट्रक वाहन में लादकर वध हेतु गैर प्रांत ले जा रहे हैं इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक लालगंज श्री नीरज यादव के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार मय उ0नि0 कबीरदास मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन, कां० सुमित शर्मा, कां० यतेन्द्र चैधरी, कां0 नितीश यादव द्वारा उ0नि0 विवेक कुमार मय उ0नि0 कबीरदास मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन, कां० सुमित शर्मा, कां० यतेन्द्र चैधरी, कां0 नितीश यादव द्वारा गौ तश्करां‍े 1. दुर्गेश यादव पुत्र राजाराम यादव नि०ग्राम अहिरन का पुरवा, मजरे अगई, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष 2. रामअवध यादव पुत्र बैजनाथ यादव नि०ग्राम अहिरन का पुरवा मजरे अगई, थाना लालगंज, प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष, 3- संजय यादव पुत्र उदयभान यादव नि०ग्राम अहिरन का पुरवा, मजरे अगई, थाना लालगंज, प्रतापगढ़, उम्र-31 वर्ष को गिरफ्तार कर ट्रक में लाद रहे 20 रा‍ाशि गोवंश बरामद किया गया तथा 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। तथा रात्रि में भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर मौके से 05 लोग फरार हो गये। जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जायेगी।

बरामद ट्रक से कुल 20 राशि गोवंश बरामद किया गया तथा गिरोह के 03 शातिर पशु तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 21/2025 अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 3 /5क/8 गोवध निवारण अधि व 11घ पशु क्रूरता निवारक अधिनियम व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 08 नफर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी का विवरणः-

1. दुर्गेश यादव पुत्र राजाराम यादव नि०ग्राम अहिरन का पुरवा, मजरे अगई, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष (के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद)

2. रामअवध यादव पुत्र बैजनाथ यादव नि०ग्राम अहिरन का पुरवा मजरे अगई, थाना लालगंज, प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष,

3- संजय यादव पुत्र उदयभान यादव नि०ग्राम अहिरन का पुरवा, मजरे अगई, थाना लालगंज, प्रतापगढ़, उम्र-31 वर्ष

गिरफ्तारी व बरादगी का स्थानः-

दिनांक 18.01.2025 को रात्रि में ग्राम अगई के पास चंदना बाग के पास से।

बरामदगी का विवरणः-

1- 01 तमंचा 315 बोर,

2- 01 जिंदा कारतूस 315 बोर,

3- 01 अदद ट्रक नं0 यूपी 70 जीटी 5355

4- 20 राशि गोवंश बरामद किये गये है।

पुलिस टीम का विवरणः-

उ0नि0 विवेक कुमार मय उ0नि0 कबीरदास मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन, कां० सुमित शर्मा, कां० यतेन्द्र चैधरी, कां0 नितीश यादव थाना लालगंजज जनपद प्रतापगढ़।

## साइबर क्राइम थाना जनपद प्रतापगढ़

फेसबुक पर फर्जी अकाउन्ट बनाकर चार पहिया वाहन को मार्केट प्लेस पर बेचने के नाम पर देश भर के अनगिनत लोगो से संगठित गैंग बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, 01 मुख्य अभियुक्त/ गैंग का सरगना को पुर्व में गिरफ्तार कर भेज जा चुका है जेल।

गैंग बनाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के विरुद्ध अब तक प्राप्त है 15 शिकायतें-

गिरोह का सदस्य साइबर पुलिस प्रतापगढ़ के शिकंजे में, इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दबोचा-
फेसबुक पर फर्जी अकाउण्ट बनाकर चार पहिया वाहनों को ठगों द्वारा मार्केट में बेचने के नाम पर लोगों के साथ करते थे ठगी-

दिनांक 17.01.2025 को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम साइबर थाना प्रतापगढ़ को फेसबुक पर फर्जी अकाउन्ट बनाकर चार पहिया वाहन को मार्केट प्लेस पर बेचने के नाम पर देश भर के अनगिनत लोगो से संगठित गैंग बनाकर साइबर करने वाले ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

घटना का संक्षिप्त विवरण व अपराध का तरीकाः-
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के कुशल निर्देशन में व साइबर क्राइम के जनपदीय नोडल अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के कुशल मार्गदर्शन में साइबर क्राइम थाना जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2024 धारा 319(2)/336(3)/338/340(2)/111(2) बी0एन0एस0 व 66 डी आई0 टी0 एक्ट के एक अभियुक्त की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की गयी। दिनांक 20.09.2024 को साइबर क्राइम थाना जनपद प्रतापगढ़ आकर एक किता शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दिनांक 16.08.2024 को वादी मुकदमा के मोबाइल के फेसबुक पर विक्रय हेतु चार पहिया वाहन बोलेरो माडल 2014 जिसका गाडी न0-UP 50 AF 5335 था, उसी विक्रय के कॉलम में विक्रेता का मोबाइल नम्बर दर्ज था। वादी मुकदमा द्वारा सम्पर्क करने पर अपना नाम कमलेश कुमार यादव सुत तिलकधारी यादव नि0ग्राम- विशौली कन्धरापुर आजमगढ़ उ0प्र0 का निवासी बताया, इसके उपरान्त वादी मुकदमा को विश्वास में लेते हुये उपरोक्त व्यक्ति द्वारा गाडी की आर0सी0 व अपना आधार कार्ड एवं फौज में सर्विस कैन्डिन कार्ड व्हाट्स उपरोक्त मोबाइल के माध्यम से वादी मुकदमा के व्हाट्सएप नम्बर पर व्हाट्स किया एवं सौदा तय हो जाने के उपरान्त उपरोक्त व्यक्ति द्वारा एन0ओ0सी0 एवं अन्य खर्चे हेतु 1,40,000/- की मांग की जिसे वादी के भाई पवन कुमार सुत माता बदल द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा मान्धाता से उपरोक्त व्यक्ति द्वारा दिये गये दलीलता दास के कई बार Phone Pay के माध्यम से 99,807/- रु0 प्रार्थी के भाई द्वारा भेजा गया, उसके बाद शेष धनराशि उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा दिये गये प्रशान्त कुमार महाराणा वादी मुकदमा के मित्र रवि कुमार यादव द्वारा 40,000/- रु0 पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामगंज बाजार से स्थानान्तरण किया गया। इसके उपरान्त उपरोक्त व्यक्ति, वादी मुकदमा से इन मो0 नम्बरो अलग-अलग से बात करता रहा था। जब वादी मुकदमा को इस बात का एहसास हो गया कि उसके साथ साइबर ठगी हो गयी है। तो अभियुक्तगणो द्वारा वादी मुकदमा से बात करना बन्द कर दिया गया। तब वादी मुकदमा द्वारा थाने आकर शिकायत की गयी।

शिकायत प्राप्त होते ही साइबर क्राइम थाना अभियोग पंजीकृत करके घटना में प्रयुक्त मो0 नम्बरो बैनिफिशरी खातो का सम्बन्धित से विवरण प्राप्त करके गहन विवेचना करते हुए विवेचक श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बैनिफिशरी खाते के धारक प्रशान्त कुमार महाराणा के नाम पता को तस्दीक करने व उसके अभिकथन को अंकित कराने के लिये संदिग्ध आरोपी को 35(3) BNSS की नोटिस प्रेषित की गयी। जाँच के क्रम में दिनांक

17.01.2025 को संदिग्ध आरोपी ओम प्रकाश राम पुत्र मानिकचन्द राम नि0 ग्राम बिलारी पोस्ट बिलारी थाना कटरी सराय बिलारी जनपद नालन्दा बिहार को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ करने पर आरोपी ओम प्रकाश राम उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरे व मेरे साथियो द्वारा गिरोह बनाकर फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक की अलग अलग आई0डी0 से चार पहिया वाहन को सस्ते दामो पर बेचने का विज्ञापन प्रसारित करके देशभर मे अनगिनत लोगो के साथ साइबर ठगी करके करोड़ो रुपये की ठगी की गयी है। अभियुक्त ओम प्रकाश राम के मो0 फोन में उपलब्ध व्हाट्सएप चैटिंग व फेसबुक प्रोफाइल की गहना से जांच करने पर यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ओम प्रकाश राम व उसके साथियो द्वारा गिरोह बनाकर संगठित साइबर अपराध किया जा रहा है। इस गिरोह के विरुद्ध अब तक कुल 15 शिकायते प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
ओम प्रकाश राम पुत्र मानिकचन्द राम नि0 ग्राम बिलारी पोस्ट बिलारी थाना कटरी सराय बिलारी जनपद नालन्दा बिहार

बरामदगीः- एक अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
निरीक्षक संजय सिंह, निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराह उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह, का0 सौरव सिंह, म0आ0 श्वेता त्यागी थाना साइबर प्रतापगढ़।

## थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ

थाना कन्धई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धई के उ0नि0 दीपक कुमार व उ0नि0यू0टी0 पवन कुमार यादव मय हमराह का0 अनुराग द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, केस नं0 2925/12 धारा 323/325/504/506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त गिरजाशंकर पुत्र जमुनाप्रसाद तिवारी नि0 परमी पट्टी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- गिरजाशंकर पुत्र जमुनाप्रसाद तिवारी नि0 परमी पट्टी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
पुलिस टीम- उ0नि0 दीपक कुमार व उ0नि0यू0टी0 पवन कुमार यादव मय हमराह का अनुराग थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।